

न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी:- श्री संजीव कुमार

प्रकरण संख्या:- 2025 / 33

राज. सरकार

बनाम

दलीप पुत्र कानाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी।

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 23.09.2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का सोनड़ी ने एक रिपोर्ट पी-14 में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी दलीप पुत्र कानाराम जाति जाट साकिन सोनड़ी द्वारा रौही मौजा सोनड़ी के खसरा संख्या 371 रक्बा 6.627 हैक्टेयर किस्म गोचर के नाम दर्ज भूमि पर अप्रार्थी द्वारा 0.506 हैक्टेयर पर नाजायज काश्त करने संबंधित रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त होने पर अप्रार्थी के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज. उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत हेतुक दर्षित के लिये सूचना संख्यांक-4 नोटिस दिया गया जो तामिल होकर प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थी ने जवाब पेश किया जो सामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी के जवाब का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध पेश की गई रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अप्रार्थी द्वारा गोचर की भूमि पर अतिक्रमी करने के कारण कानाराम को अतिक्रमी घोषित किया जाता है अतिक्रमी करने पर 500 रूपए तावान से दण्डित किया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकर मांग कायम करें।

भू अभिलेख निरीक्षक नोहर के नाम अलग से आदेश जारी हो कि बहक सरकार कुर्क सुदा फसल की निलामी करवाई जाकर राशि राजकोष में जमा हो एवं अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


नायब तहसीलदार (राजस्व)
नोहर